<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2018 **दायर दिनांकः 04.05.2018**

उनवान

1. गंगाराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. भूलीबाई पत्नि गंगाराम जाति मेघवाल निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. संजय पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007</u>

निर्णय

दिनांक 10.07.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी व पत्नि को उसके पुत्र छीतरलाल, संजय पुत्र गंगाराम व पोता रामेश्वर पुत्र सत्यनारायण जाति मेघवाल ग्राम अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां राज0 का रहने वाले है। जो कि दिनांक 25. 04.2018 को दिन 11 बजे का वाका है संजय पुत्र गंगाराम ने शराब के नशे में पिता व मां को गाली कलोंच व मारपीट करके घर से ढ़क्का देकर बाहर निकाल दिया है व सामान को बार फेंक दिया है मॉ व पिता रोटी पानी के लिए इधर उधर देखना पड़ रहा है। प्रार्थी को शराब पीकर आया मारपीट करता है प्रार्थी व उसकी पत्नि पुत्रों से भूख प्यास से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी व उसकी पत्नि के साथ मारपीट व घर से बहार निकाल देना व रोटी नही देने वाले पुत्रो के साथ उचित कार्यवाही किया जाने का आदेश दिया जाने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की गई, अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, प्रार्थीगण को सुना, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को प्रताडित कर घर से निष्कासित कर दिया गया है। प्रार्थीगण का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, प्रार्थी वृद्ध है, अन्य कोई काम धन्धा नही कर सकता अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को भरण—पोषण राशि 5000/— रूपये दिलवाये जाने के आदेश फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण पुत्र है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण को प्रतिमाह 1 से 5 तारीख को मध्य 2000—2000 कुल 4000 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.08.19 15:55:28 IST
Reason: SelfAttested